

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

बुधवार, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 (शक)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

- (i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

(2) अतारांकित:

- (i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप सचिव (निर्वाचन), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या: 5-36/2017-ईएलएन.1330 दिनांक 27.03.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2019 को प्रकाशित; और
- (ii) अकादमी की संविधान की धारा-21 के अन्तर्गत हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (01-04.2017 से 31.03.2018) तथा वर्ष 2016-18(01-04.2016 से 31.03.2018)।

- (2) श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या: फिश-ए(3)-1/2014 दिनांक 01.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.06.2019 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

- (1) श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20), समिति का 15वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 68वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।
- (2) श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 16वां मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) जोकि महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत "नारी सेवा सदन के उत्थान" की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और
- (ii) समिति का 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 10वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है ।
- (3) श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 14वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है।

(4) श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2019-20), समिति का 12वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 28वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री नरेन्द्र बरागटा, "प्रदेश में बागवानों को टैलीस्कोपिक कार्टन से हो रही हानि तथा यूनिवर्सल कार्टन की समय पर आपूर्ति न होने" से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

(1) श्री हर्षवर्धन चौहान, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

(2) श्री नरेन्द्र ठाकुर, प्रस्ताव करेंगे कि:

"सरकार द्वारा चलाई जा रही 'हिम केयर' व 'सहारा' योजनाओं पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004

दिनांक: 20 अगस्त, 2019

यशपाल शर्मा,

सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)